(3)

(98) 218

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-5-21/2002/10-3 भोपाल/दिनांक 6.8.2008

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश भोपाल।

विषय:- वन अपराध प्रकरणों की वापसी ।

-0-

राज्य शासन वन विभाग में वन अपराध प्रकरणों की वापसी करने के संबंध में एतद् व्दारा निम्न निर्णय लिया गया है, कि :-

(1) अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रकाश में दिनांक 13.12.2005 तक वन भूमि अतिक्रमण से संबंधित केवल अनुसूचित जन जाति वर्ग के साधारण वन अपराध प्रकरणों/को जाँच तथा अभिसंधान प्रक्रिया से वापस लेते हुये निरस्त किया जाये । जिन प्रकरणों में स्थानीय न्यायालय में अभियोजन प्रक्रिया के तहत चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, उन्हें न्यायालय में आवेदन कर प्रकरणों को वापस लिया जाए । परन्तु यदि वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास संगठित रूप से असामान्य गतिविधियों एवं शस्त्रों का उपयोग करते हुये वन कर्मचारियों के साथ हिंसक वारदात के जरिये किया गया है तो ऐसे प्रकरणों को वापस नहीं लिया जाये । वन भूमि पर अतिक्रमण संबंधी जो प्रकरण वापस लिया जायेगें, उनमें महसूल /मुआवजा की लंबित वसूली समाप्त किया जाए तथा वन अपराधियों से प्राप्त की गई ऐसी सामग्री (वनोपज को छोड़कर) जो वैधानिक प्रक्रिया अनुसार राजसात नहीं की गई है, को यथास्थिति में (जिस स्थिति में वन - विभाग के पास उपलब्ध है) वापस किया जाये ।

(2) भारतीय वन अधिनियम, 1927, मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 एवं उसके पूर्व पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरण/ जिनका अभियोजन न्यायालय में प्रारम्भ नहीं किया गया है, समाप्त किया जाये । परन्तु वाहनों की जप्ती एवं राजसात, अवैध आरा- -मशीन संचालन, संगठित रूप से की गई अवैध वृक्ष कटाई एवं अवैध उत्खनन,

प.क्रं.-

अगला

शिकार, वन्यप्राणियों को हानि पहुंचाना अथवा उनके रहवास को किसी प्रकार की गंभीर क्षति पहुंचाने से संबंधित पंजीबद्ध गम्भीर, वन अपराध समाप्त नहीं किये जाये । उपरोक्त कंडिका (1) में दर्शाये अनुसार प्रकरणों को छोड़कर अन्य अतिक्रमण प्रकरण भी समाप्त नहीं किए जायेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रतन पुरवार)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल

3917
11/8/08

पृ०क्रमांक/एफ-5-21/2002/10-3 भोपाल/दिनांक, 6.8.2008.

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
2. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण) मध्य प्रदेश भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

समस्त वं.म. व वं.म.अ. को तत्काल सूचित करें।

6/8/08